न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सीकर
पीठासीन अधिकारीः— जय प्रकाश, आर.ए.एस

पत्रावली संख्याः— 09/2017/निगरानी

1. मुकेश कुमार पुत्र द्वारका प्रसाद निवासी लाडपुर तहसील खण्डेला जिला सीकर
2. बनवारी पुत्र जोरूराम जाति जाट निवासी लाडपुर तहसील खण्डेला जिला सीकर
3. जगदीश प्रसाद पुत्र मालीराम सोनी निवासी मलिकपुर तहसील खण्डेला जिला सीकर
4. रामपाल पुत्र हरदेवाराम जाति जाट निवासी लाडपुर तहसील खण्डेला जिला सीकर
5. बनवारी पुत्र दल्लाराम जाति जाट निवासी लाडपुर तहसील खण्डेला जिला सीकर

निगरानीकर्ता

बनाम

1. मालीराम पुत्र गोविन्दराम जाति जाट निवासी गिरधारीसिंह का बास तहसील खण्डेला
2. करण सिंह पुत्र पोखरमल जाति जाट निवासी ज्ञानपुरा तहसील खण्डेला जिला सीकर
3. महेन्द्रसिंह पुत्र प्रभातीलाल जाति जाट निवासी ज्ञानपुरा तहसील खण्डेला जिला सीकर
4. कुम्भाराम पुत्र रामचन्द्र जाति जाट निवासी मलिकपुर तहसील खण्डेला जिला सीकर
5. ग्राम पंचायत मलिकपुर जरिए सरपंच तहसील खण्डेला जिला सीकर

गैर निगरानीकर्ता

निगरानी विरूद्ध निर्णय न्यायालय प्रशासन एवं स्थापना समिति पंचायत समिति खण्डेला प्रकरण अनुवानी मालीराम वगै. बनाम मुकेश कुमार वगै. निर्णय दिनांक 30.10.2017

वकील प्रार्थी श्री रामेश्वरलाल बिजारणिंया
वकील अप्रार्थी श्री कैलाश चन्द शर्मा

सत्यमेव जयते
Web Copy, Not Official

निर्णय **दिनांकः—25.07.2018**

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि कार्यालय ग्राम पंचायत मलिकपुर पंचायत समिति खण्डेला जिला सीकर के द्वारा निगरानीकर्तागण के अपने पट्टा संख्या 77 बाद जांच एवं विधिक प्रकिया अपनाते हुए संकल्प संख्या 1 दिनांक 07.10.2014 की अनुपालना में दिनांक 28.10.2014 को जारी किया गया था। जिसके विरूद्ध गैर निगरानीकर्ता संख्या 1 ता 4 के द्वारा न्यायालय प्रशासन एवं स्थापना समिति पंचायत समिति खण्डेला के समक्ष अपील प्रस्तुत की गयी, जो सर्वथा मियाद बाहर थी। उस अपील पर योग्य अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 30.10.2017 को निर्णय पारित करते हुए निगरानीकर्ता के हक में जारी पट्टा संख्या 77 दिनांक 28.10.2014 को खारिज कर दिया। गैर निगरानीकर्ता संख्या 1 ता 4 के द्वारा योग्य अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत अपील में मियाद क्षमा किये जाने के सम्बंध में कोई आवेदन नही था, योग्य अधिनस्थ न्यायालय द्वारा मियाद के बिन्दू को तैय करते हुए निर्णय पारित किया जाना चाहिए था। अपील के साथ मियाद कन्डोन का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र नही होने से अपील पोषणीय ही नही थी। योग्य अधिनस्थ न्यायालय ने मौका निरीक्षण कमेटी की रिपोर्ट दिनांक 17.08.2017 को आधार मानकर कोई विवेचन व विश्लेषण किए बिना निर्णय पारित

की रिपोर्ट दी है परन्तु किन व्यक्तियों में पूछताज की गयी, के नाम व पता अंकित नही है, न ही ऐसे व्यक्तियों का शपथ पत्र है, न ही प्रार्थीगण ग्राम पंचायत मलिकपुर से भिन्न ग्राम पंचायत के निवासी है। बल्कि सभी प्रार्थीगण ग्राम पंचायत मलिकपुर के निवासी है तथा शामिल में पट्टाशुदा आवासीय मकान में आवास निवास कर रहे है। प्रार्थीगण के द्वारा ग्राम पंचायत मलिकपुर के समक्ष आवासीय मकान का पट्टा चाहने हेतु दिनांक 22.05.2012 को आवेदन प्रस्तुत किया, जिसे दिनांक 05.06.2012 को ग्राम पंचायत की मीटिंग में लिया जाकर मौका निरीक्षण हेतु लालचन्द, छोटूराम, महावीर पंचो एवं मौका नक्शा के लिए ग्राम सेवक/ सरपंच को नियुक्त किया जिनकी रिपोर्ट व नक्शा पर अविश्वास करने का कोई कारण नही है। योग्य अधिनस्थ न्यायालय प्रशासन एवं स्थापना समिति पंचायत समिति खण्डेला ने इस ओर भी कतई ध्यान नही दिया कि ग्राम पंचायत मलिकपुर द्वारा दिनांक 09.01.2014 की मिटिंग से प्रार्थीगण के आवासीय मकानो के बाबत पट्टे के लिए 30 दिवस का आपत्ति नोटिस जारी करने का निर्णय लिया जो आपत्ति नोटिस ग्राम पंचायत भवन के नोटिस बोर्ड, राजीव गांधी सेवा केन्द्र, बस स्टेण्ड मलिकपुर, आम चौक मलिकपुर पर चस्पा किए गए, जिन पर दिनांक 07.10.2014 तक कोई आपत्ति एतराज नही आया तो गैर निगरानीकर्ता संख्या 1 ता 4 ने किस हैसियत से अपील प्रस्तुत की। गैर निगरानीकर्ता संख्या 1 ता 4 ग्राम पंचायत मलिकपुर द्वारा प्रार्थीगण के पक्ष में जारी पट्टे से किसी प्रकार प्रभावित हो रहे थे या व्यक्ति थे, कोई स्पष्टिकरण नही है जबकि कानूनन अपील उसी पक्षकार द्वारा की जा सकती है जो विचारण के दौरान पक्षकार रहा है या उस व्यक्ति द्वारा जो निर्णय से व्यथित है। न्यायालय प्रशासन एवं स्थापना समिति पंचायत समिति खण्डेला ने अपने निर्णय में निगरानीकर्तागण को 713.88 वर्गगज का पट्टा जारी किया जाना जबकि ग्राम पंचायत को 300 वर्गगज का पट्टा जारी करने का अधिकार माना, जबकि ग्राम पंचायत मलिकपुर द्वारा दिनांक 07.10.2014 को प्रस्ताव संख्या 1 के द्वारा 300 वर्गगज से अधिक जगह का डीएलसी दर का 25 प्रतिशत राशि 41388/– रूपये जमा कराने का निगरानीकर्तागण को आदेश दिया व निगरानीकर्तागण ने रसीद संख्या 11 दिनांक 28.10.2014 को 41388/– रूपये जमा करवा दिये, इसलिए पट्टा समस्त विधिक प्रावधानो के तहत जारी किया गया था। अतः निगरानीकर्ता की निगरानी स्वीकार की जाकर न्यायालय प्रशासन एवं स्थापना समिति पंचायत समिति खण्डेला द्वारा प्रकरण मालीराम वगै. बनाम मुकेश कुमार वगै. में पारित निर्णय दिनांक 30.10.2017 को निरस्त किया जाकर निगरानीकर्ता के पक्ष में ग्राम पंचायत मलिकपुर द्वारा जारी पट्टा संख्या 77 यथावत रखे जाने के आदेश करने की कृपा करें।

निगरानी प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई एवं अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी संख्या 2 की और से अधिवक्ता श्री कैलाश चन्द शर्मा उपस्थित आये। अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया एवं बहस उभयपक्ष सुनी गई। अधिनस्थ न्यायालय से प्राप्त पत्रावली में मौका निरीक्षण रिपोर्ट दिनांक 17.08.2017 के मुताबिक पट्टा धारको (निगरानीकर्ता संख्या 1 लगायत 5) द्वारा पट्टा संख्या 77 आबादी भूमि में पुश्तैनी आवासीय हवेली/भूमि होने से आवासीय पट्टा जारी करवाया गया था। उक्त हवेली इन पांचो प्रार्थियों की शामलाती भूमि नहीं थी एवं पट्टा धारक अलग–अलग जाति व अलग–अलग निवास स्थान से है। पट्टा संख्या 77 आवासीय उद्देश्य से जारी किया गया है, जबकि मौके पर वर्तमान में दुकानें निर्मित है। उक्त पट्टा ग्राम पंचायत मलिकपुर द्वारा 713.88 वर्गगज का जारी किया गया है जबकि ग्राम पंचायत को आबादी भूमि में से 300 वर्गगज से अधिक का पट्टा जारी करने से पूर्व सक्षम स्तर से अनुमोदन करवाया जाकर पट्टा जारी किया जाना चाहिए। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात पर

शामलाती हवेली एवं मौके पर आवासीय उद्देश्य से काम मे लिये जाने के सम्बंध में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है। ग्राम पंचायत द्वारा उक्त पट्टा 713.88 वर्गगज का जारी किया गया है जबकिं ग्राम पंचायत द्वारा आबादी भूमि में 300 वर्गगज से अधिक का पट्टा जारी करने से पूर्व सक्षम स्तर से अनुमोदन सम्बंधी कोई दस्तावेज पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। इस प्रकार समुचित साक्ष्य/दस्तावेजात के अभाव में चुनौतिग्रस्त निर्णय को चुनौति देना संभव नहीं है। अतः न्यायालय स्थाई समिति, पंचायत समिति दांतारामगढ़ के निर्णय दिनांक 30.10.2017 में किसी प्रकार की दखलन्दाजी की आवश्यकता नहीं है। लिहाजा निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 25.07.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

25/7/18

(जय प्रकाश)
अति0 जिला कलक्टर, सीकर

अति. जिला कलक्टर, सीकर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official